<u>न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश महवा जिला दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : आशुतोष गोसिन्हा UID NO-RJ00699

(1) दांडिक निगरानी संख्या : 05 / 2022
{CIS NO-05/22}
CNR NO-RJDS11000162-2022

1. बलवीर पुत्र मिश्रीलाल, उम्र 42 वर्ष, जाति मीना, निवासी टीकरी जाफरान, पुलिस थाना महवा जिला दौसा।
2. श्रीमती सत्यवती पत्नी बनवारीलाल, उम्र 32 वर्ष, जाति मीना, निवासी ओण्ड मीना पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा।

..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक महवा
2. थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा।
3. जयनारायण पुत्र रामस्वरूप
4. यादराम पुत्र जगनलाल
5. धर्मसिंह पुत्र रामकुंवार
6. बिजेन्द्र पुत्र मीठ्या
7. हरिसिंह पुत्र रामधन, जाति मीना, निवासी टीकरी जाफरान थाना महवा।
8. गजानंद पुत्र ओमकार, जाति ब्राहमण निवासी बासडा ब्राहमण,
9. बाबूलाल पुत्र ओमकार जाति ब्राहमण निवासी बासडा ब्राहमण, पुलिस थाना बसवा जिला दौसा।

— गैर निगरानीकारान

उपस्थिति :—

1. श्री धर्मसिंह राजपूत अधिवक्ता निगरानीकारान की ओर से।
2. श्री रतनचंद शर्मा, अपर लोक अभियोजक गैरनिगरानीकार सं0 एक व दो की ओर से।
3. गैरनिगरानीकार सं0 3 लगायत 9 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

(1) दांडिक निगरानी संख्या : 06/2022
{CIS NO-06/22}
CNR NO-RJDS11000163-2022

1. यादराम पुत्र जगन,
2. धर्मसिंह पुत्र रामकुंवार,
3. बिजेन्द्र पुत्र मिठ्या,
4. हरिसिंह पुत्र रामधन,
सभी जाति मीना निवासी टीकरी जाफरान पुलिस थाना महवा जिला दौसा।
5. गजानंद पुत्र ओमकार,
6. बाबूलाल पुत्र ओमकार, दोनों जाति ब्राहमण निवासी बासडा थाना बसवा, जिला दौसा।

— निगरानीकारान

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए अपर लोक अभियोजक महवा।
2. रामकिशन पुत्र रामपाल, जाति मीना,
3. स्वरूप पुत्र रामकिशन, जाति मीना,
4. मन्नू पुत्र रामपाल, जाति मीना,
5. हरदयाल पुत्र मन्नू, जाति मीना,
6. सुमेर पुत्र मन्नू जाति मीना,
7. रामदयाल पुत्र नत्थी, जाति प्रजापत,
8. रामसिंह पुत्र नत्थी जाति प्रजापत,
9. जीवन पुत्र नत्थी जाति प्रजापत,
10. पूरण पुत्र नत्थी, जाति प्रजापत,
11. बलवीर पुत्र मिश्रीलाल, जाति मीना,
12. मनोहर पुत्र रामप्रसाद जाति मीना, समस्त निवासी टीकरी जाफरान, पुलिस थाना महवा जिला दौसा।
13. सत्यवती पत्नी बनवारी जाति मीना,
14. बृजेश पुत्र सुरेन्द्र कुमार, जाति मीना, निवासी ओण्ड मीना, पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा।

15. थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा।

16. जयनारायण पुत्र रामस्वरूप जाति मीना, निवासी टीकरी जाफरान पुलिस थाना महवा जिला दौसा।

.... गैरनिगरानीकारान

उपस्थिति :–

1. निगरानीकारान की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2. गैर निगरानीकार सं0 2 लगायत 10 की ओर से कोई उप0 नहीं।
3. श्री धर्मसिंह राजपूत विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 11 व 13 की ओर से।
4. गैरनिगरानीकार सं0 12,ख 14 एवं 16 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
5. श्री रतनचंद शर्मा विद्वान अपर लोक अभियोजक गैर निगरानीकार सं0 1 व 15 की ओर से।

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 14.03.2022 उपजिला मजि0 महवा जिला दौसा प्रकरण सं0 03/2021, रामकिशन व अन्य बनाम जयनारायण व अन्य अन्तर्गत धारा 145 द0 प्र0 सं0 ।

––आदेश–– **दिनांकः 07.03.2026**

1. निगरानीकारान की ओर से हस्तगत दोनों निगरानी याचिका अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा के प्रश्नगत आदेश दिनांक 14.03.2022 अन्तर्गत धारा 145 द0 प्र0 सं0 से व्यथित होकर निगरानीकार बलवीर व अन्य तथा यादराम व अन्य की ओर से पृथक–पृथक पेश की गई हैं। चूंकि दोनों ही निगरानी याचिका एक ही आदेश के विरूद्ध पेश की गई है, अतः सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों निगरानी याचिकाओं का निस्तारण एक साथ ही किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी महवा ने इस्तगासा अंतर्गत धारा 145 जा. फौ. का इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम टीकरी जाफरान में स्थित जमीन खसरा नं. 632/915 633/917, 635/919, 628/911 को दिनांक 24.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जमीन मालिक श्री शिम्भू पुत्र परभाती जाति ब्राहमण उम्र 70 साल निवासी टीकरी जाफरान थाना महवा जिला दौसा से खरीददार श्री बलबीर पुत्र मिश्री लाल जाति मीना उम्र 41 साल निवासी टीकरी जाफरान थाना महवा तथा श्रीमति सत्यवती

पत्नि बनवारी लाल मीना जाति मीना निवासी औण्ड मीना थाना सलैमपुर जिला दौसा द्वारा क्रय की गई है, जिसके संबंध में ग्रामवासीयान टीकरी जाफरान द्वारा सब रजिस्ट्रार महवा को शिकायत पेश कर नामान्तकरण पर रोक लगवाने हेतु निवेदन किया गया है एवं थाना पर उक्त रजिस्ट्री को जमीन मालिक को इलाज करवाने के बहाने लाकर उससे धोखाधडी करते हुए जमीन की रजिस्ट्री करवा लिए जाने के संबंध में दिनांक 26.02.2021 को श्री बाबू लाल पुत्र ओमकार जाति ब्राहम्ण 40 साल निवासी बासडा ब्राहमण थाना बसवा जिला दौसा द्वारा रिपोर्ट पेश कर मु.नं. 131/2021 धारा 420 भा0द0सं0 दर्ज करवाया गया जो अनुसंधानाधीन है। उक्त प्रकरण को पंजीबद्ध होने के पश्चात उक्त जमीन मालिक श्री शिम्भु पुत्र परभाती जाति ब्राहमण उम्र 70 साल निवासी टीकरी जाफरान थाना महवा जिला दौसा की दौराने इलाज सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में दिनांक 02.04.2021 को मृत्यु होने पर उसकी लाश को लाकर विगत दिवसों में दिनांक 03.04.2021 से दिनांक 08.04.2021 तक राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीना द्वारा अपने समर्थको एवं ग्रामवासीयान टीकरी जाफरान को साथ लेकर मृतक शिम्भू पुजारी की उपरोक्त जमीन तथा ग्राम टीकरी जाफरान की मंदिर माफी की जमीन को मुक्त करवाने की मांग को लेकर थाना हाजा के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया गया था। मृतक शिम्भू शर्मा की मृत्यु के संबंध में दिनांक 06.04.2021 को श्री जयनारायण मीना निवासी टीकरी जाफरान द्वारा रिर्पोर्ट पेश कर मु. नं. 208/2021 धारा 302, 120बी. भादस दर्ज करवाया गया है, जो अनुसंधानाधीन है। जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हुई थी। राज्य सभा सांसद किरोडी लाल मीना द्वारा अपने समर्थको एवं ग्रामवासीयान टीकरी जाफरान को साथ लेकर मृतक शिम्भू पुजारी की लाश को महवा से ले जाकर जयपुर में सिविल लाईन्स में लाश को रखकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भी सरकार से वार्ता होने पर मृतक शिम्भू पुजारी की उपरोक्त जमीन तथा ग्राम टीकरी जाफरान की मंदिर माफी की जमीन को मुक्त करवाने की मांग रखी गई तथा दिनांक 12.04.2021 को ग्राम ठीकरी जाफरान ने मृतक शिम्भू शर्मा एवं मंदिर माफी की जमीन को खरीदारान तथा अवैद्य कब्जा करने वालो से मुक्त करवाकर कब्जेराज में लेने बावत पेश की गई है। ग्राम टीकरी जाफरान में स्थित मंदिर माफी एवम् मृतक शिम्भू शर्मा का रैवन्यू रिकॉर्ड प्राप्त किया तथा हल्का पटवारी ग्राम टीकरी जाफरान से जमीन की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जमीन खसरा नं. 196, 197, 209, 210, 211, 212, 213,

214, 497/856, 566/885, 567, 568/887 जो वर्तमान में मंदिर माफी के नाम दर्ज है, जिस पर गैर सायलान पार्टी नं. 01 के गैर सालयान 01 लगायत 05 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तथा नेशनल हाईवे किनारे स्थित जमीन खसरा नं. 497/856 पर गैर सायलान रामकिशन तथा मन्नू पुत्रान रामपाल मीना एवम उसके पुत्रों द्वारा पक्की 08 दुकाने बना रखी है तथा खसरा नं. 569, 570 जो वर्तमान में मंदिर माफी के नाम दर्ज है जिस पर गैर सायलान 06 लगायत 09 द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है एवं मृतक शिम्भू शर्मा एवं मंदिर माफी की जमीन को खरीदारान तथा अवैध मृतक शिम्भू पुजारी की जमीन खसरा नं. 632/915, 633/917, 635/919, 628/911 को दिनांक 24.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जमीन मालिक श्री शिम्भू से खरीददार श्री बलबीर पुत्र मिश्री लाल जाति मीना उम्र 41 साल निवासी टीकरी जाफरान थाना महवा तथा श्रीमति सत्यवती पत्नि बनवारी लाल जाति मीना निवासी औण्ड मीना थाना सलैमपुर जिला दौसा द्वारा क्रय कर ली गई है। मंदिर माफी तथा मृतक शिम्भू शर्मा की उपरोक्त जमीनों से गैर सायल पार्टी नं. 01 कब्जा नही छोडना चाहते है तथा गैर सायल पार्टी नं. 02 ग्रामवासीयान तथा मृतक शिम्भू पुजारी के कथित बारिसान उनके कब्जे से जमीन को मुक्त करवा कर मंदिर के कब्जे में दिलवाने हेतु प्रयासरत है, जिसके कारण गांव टीकरी जाफरान में गुटबाजी होकर भारी रोष व्याप्त है जिसके चलते गांव में झगडा मारपीट खून खरावा जैसी कोई भी अप्रिय घटना तथा कानून व्यवस्था की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। थानाधिकारी महवा द्वारा साक्ष्य के रूप मे इस्तगासे के साथ परिवाद की प्रति, इस्तगासा अतंर्गत धारा 107,116 (3) जा.फौ. मय बयान गवाहन एवं जांच रिपोर्ट, प्र.सू.रि. प्रति, नकल जमाबन्दी जमीन उपरोक्त खसरा, मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, नकल रपट रो.आम, न्यायालय एस.डी.एम. आदेश क्रमांक 527/12.04.2021 की प्रति पेश किये। थाना अधिकारी महवा द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. विरूद्ध गैर सायलान पार्टी नं. 01 व 02 पेश कर अर्ज किया कि उपरोक्त सम्पूर्ण विवादित जमीन को इन लोगो से मुक्त करवाकर कब्जा राज रिसीवरी में लिए जाने का निवेदन किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को दर्ज रजिस्टर करते हुए गैरसायलान को तलब किया गया।

4. गैरसायलान सं0 1 लगायत 5 की ओर से जबाब पेश कर अंकित किया कि पुलिस थाना महवा ने अप्रार्थीगणों के विरूद्ध राजनैतिक द्वेष भावना एवं गांव में समाज में द्वेषभावना पैदा होने के कारण गांव के असामाजिक तत्वो से मिलकर पुलिस थाना महवा ने आधारहीन इस्तगासा पेश किया गया है, आराजी खसरा नं–196, 197, 209, 210 लगायत 214/567, 497/856, 566/885, 568/888 कुल किता–12 कुल रकबा 3.28 हैक्ट. वाके ग्राम टीकरी जाफरान जो भूमि ऐकीकरण में ख.नं–123 तथा इससे पूर्व ख.नं 454 व 455 से बने है, जो कि उक्त आराजी गैर सायलान की पैतृक आराजी है जो उन्हें विरासत में मिली है तथा उक्त विवादग्रस्त आराजीयात पर गैर सायलान सैकडो वर्षों से बहैसियत खातेदार काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नं 123 रकबा 04 बीघा 17 विस्वा की खातेदारी सन् 2000 से गैर सायलान एवं उनके पूर्वजों के नाम रही है सन् 1990 में राजस्व कर्मचारियों ने साजकर गैर सायलान की जमीन को खातेदारी से काट कर सन् 1990 में गलत तरीका से भूमि मन्दिर नृसिंहजी महाराज के नाम कर दी गई है जो कि नियम व कानून से हटकर की गई है, जिसे माफी मन्दिर नृसिंह महाराज के नाम करने का अधिकार ही नहीं था, साविक खसरा नं 454 कभी भी माफी मन्दिर की आराजी नही रही। खसरा नं 454 पर बजमाने बुजुर्गान करीब सैकडों वर्षों से गैर सायलान एवं उनके बुजुर्गान रामपाल पुत्र केशा की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है, गलत खातेदारी भूमि मन्दिर नृसिंह जी महाराज के नाम हो जाने के कारण गैर सायलान रामकिशन, मन्नूलाल पुत्रान रामपाल जाति मीना निवासी टीकरी जाफरान तह० महवा जिला दौसा वाद पत्र उनवान रामकिशन वगै. बनाम मूर्ति मन्दिर नृसिंह जी दावा बावत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसे न्यायालय द्वारा वाद विवारण दिनांक 28.06.2010 को गैर सायलान के पक्ष में डिग्री फरमाया गया। जिससे व्यथित होकर मूर्ति मन्दिर की ओर से राजस्व अपील अधिकारी कैम्प दौसा के समक्ष अपील पेश की गई, जो विचाराधीन है जिसमें वादीगणों की साक्ष्य होना बाकी है, गैर सायलान 01 लगायत 05 का विवादग्रस्त आराजीयांत पर बजमाने बुजुर्गान सन् 2000 से बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है और अशान्ति भंग होने की किसी प्रकार की संभावना आज तक पैदा नही हुई, शान्तिपूर्वक गैर सायलान काबिज कानून चले आ रहे है तो उनके अधिकारों से वंचित कर विवादग्रस्त आराजी को कुर्क नही किया जा

सकता और ना ही सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। उनके द्वारा सन् 1989 में ही पुख्ता दुकानो का निर्माण कर लिया गया है एवं शान्तिपूर्वक काबिज है। जमीनों की कीमतें बढती जा रही है। किसी प्रकार का गैर सायलान का अवैध कब्जा नही है गैर सायलान खातेदार काश्तकार है बजामाने बुजुर्गान से काश्त करते चले आ रहे है इसलिए गैर सायलान 01 लगायत 05 के विरूद्ध इस्तगासा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. विशेष कथनों में अंकित किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती स्थायी निषेधाज्ञा का नियमित वाद विचाराधीन है। जिसमें ही सारे अधिकार तय होने है तो ऐसी सूरत में शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त जब गैर सायलान का विद्यमान है तो धारा 145 जा.फौ. की कार्यवाही में गैर सायलान की आराजी को कब्जेराज नहीं लिया जा सकता। गैर सायलान के विरूद्ध गांव में साजिशी तौर पर बेशकीमती जमीन को हडपने के उद्देश्य से राजनैतिक दबाव में आकर पुलिस थाना महवा ने गैर सायलान 01 लगायत 05 के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। अतः थानाधिकारी पुलिस थाना महवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6. गैरसायल सं0 10 बलवीर एवं गैरसायल सं0 13 सत्यवती ने जबाब पेश करते हुए अंकित किया है कि उनके द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.02.2021 को आराजी खसरा नं. 632/915 रकबा 0.01 है०, ख.नं. 933/917 रकबा 0.11 है०, ख.नं. 635/919 रकबा 0.13 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 है० ग्राम टीकरी जाफरान तहसील महवा को बलवीर पुत्र श्री मिश्रीलाल द्वारा शिम्भू पुत्र परभाती जाति ब्राहमण से मुबलिग 5,90,000/- रूपये में खरीद की थी जिसका प्रतिफल चार लाख रूपये जरिये चौक एवं 190000/- रू० नगद बिक्रेता को दिये तथा उसी दिन ख0न0 628/911 रकबा 0.28 है० बाके ग्राम टीकरी जाफरान तहसील महवा को बिक्रेता शिम्भू पुत्र परभाती जाति ब्राहमण से सत्यवती पत्नि बनवारीलाल मीना द्वारा 595000/- रूपये खरीद की थी जिसका प्रतिफल चार लाख रूपये जरिये चौक एवं 195000/- रू० उसी दिन नकद रोकडी अदा कर दिये थे। उनके द्वारा खरीदी गई उक्त भूमि बिक्रेता शिम्भू पुत्र परभाती की पैतृक सम्पत्ति थी, जिससे माफी मंदिर का कोई सम्बन्ध नहीं था, माफी मंदिर की भूमि अलग है तथा माफी मंदिर की भूमि अलग होने से तथा यह खसरा नंबर शिम्भू की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उक्त भूमि को बेचने, रहन, बय करने का

उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था, क्योंकि बन्दोबस्त से पूर्व उक्त भूमि ख०न० 141 एवं 144 था जो कि प्रभाती पुत्र गणेश कौम ब्राहमण निवासी टीकरी जाफरान के नाम गैर खातेदार दर्ज था जिसकी मृत्यु होने पर नामान्तरण संख्या 159 के अनुसार प्रभाती के स्थान पर शिम्भू पुत्र प्रभाती के नाम इन्द्राज दर्ज हुए तथा नामांतरकरण सं० 163 के अनुसार गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई थी इस प्रकार उक्त सम्पत्ति उसकी निजी व पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उक्त सम्पत्ति को रहन, बय, मुन्तकिल करने का उसे पूर्ण अधिकार था। उक्त भूमि पर दिनांक 24.02.2021 से पूर्व बिक्रेता शिम्भू पुत्र प्रभाती की काश्त थी जिस पर किसी भी व्यक्ति का कोई उज्र नहीं था तथा उक्त बयनामा उनके नाम होने के बाद उसी दिन कब्जे का हस्तान्तरण भी बयनामा के अनुसार उनको हो गया। इस कारण उक्त भूमि पर आज दिनांक को उनका ही कब्जा माना जायेगा तथा उक्त भूमि से ग्रामवासियों का भी कोई सम्बन्ध नहीं होने के कारण उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इस तरह आरोप लगाकर उक्त प्रार्थना पत्र (परिवाद) पुलिस से मिलकर प्रस्तुत करवाया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त सम्पत्ति बिक्रेता की निजी सम्पत्ति थी, जिस पर उसका पूर्णतया अधिकार था तथा उसमें अपने सम्पूर्ण अधिकारों को उनके पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया था इस कारण प्रस्तुत परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने से खारिज होने योग्य है। उनका उक्त भूमि पर बयनामा के अनुसार कब्जा है तो फिर रिसीवर की आड में उनको शांतिपूर्वक कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अतः थानाधिकारी की ओर से प्रस्तुत परिवाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

7. द्वितीय पक्ष के गैरसयायलान जयनारायण व अन्य की ओर से जबाब पेश कर अंकित किया है कि परिवाद में वर्णित आराजीयात खसरा संख्या 632, 915, 633/917, 635/919, 628/911 जिसे दिनांक 24.02.2021 को खातेदार शिम्भू पुत्र परभाती जाति ब्राहामण द्वारा तथाकथित रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बलबीर पुत्र मिश्रीलाल तथा सत्यवती पत्नी बनवारीलाल मीना द्वारा कय करना मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र माना है, जबकि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान क्रेतागण को किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है, बल्कि सही तथ्य यह है कि खातेदार शिम्भू पुत्र परभाती का दाह संस्कार भी उक्त भूमि में किया गया है तथा वर्तमान में मृतक शिम्भू के प्रतिनिधि (वारिस) के रूप में पार्टी नं 2 में से गजानन्द पुत्र ओमकार जाति ब्राहामण निवासी, बासडा तह० बसवा जिला दौसा

का कब्जा काश्त है, जिसमें पार्टी नं 2 के अन्य सदस्यों द्वारा गजानन्द को काश्त दोहन में मदद की जा रही है तथा दिनांक 24.02. 2021 के विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी हुई है, क्योंकि उक्त विक्रय पत्र के रजिस्ट्रेशन मे विधि की पालना नही की है इस कारण उक्त पंजीयन विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त आराजी पर पार्टी नं 1 के सदस्य 10 लगायत 13 लठ्ठ के बल पर कब्जा लेना चाहते है। जिससे झगडा होने, एवं खून खराबा होने तथा कोई भी अप्रिय घटना होने की सम्भावना है। इस कारण गजानन्द पुत्र ओमकार का कब्जा मानते हुए ही 145 CRPC की कार्यवाही अमल में लाई जाने का निवेदन किया। परिवाद मे वर्णित आराजीयात खसरा नं 196, 197, 209 लगायत 214 व 497/856, 566/885, 567, 568/887, 569 व 570 कुल किता 14 जो कि वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार देवताओं से सम्बन्धित जोत है जो मन्दिर माफी श्री नृसिंह जी महाराज, विराजमान टीकरी जाफरान पटवार हल्का खेड़ला गदाली तहसील महवा जिला दौसा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12. 2009 को उक्त वर्णित भूमि को 145 CRPC के समान्तर कार्यवाही करते हुए धारा 212 आर.टी.ए. बाबत कब्जा राज लिया जा कर तहसीलदार महवा को रिसीवर नियुक्त कर उक्त भूमि के कुर्की के आदेश पारित कर फसल की समुचित व्यवस्था के आदेश किये हुए है उक्त आदेश को पार्टी नं 1 के सदस्य रामकिशन पुत्र रामपाल व मन्नू पुत्र रामपाल जो भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा में चुनौती दी थी, परन्तु उक्त अदालत अपने आदेश 20.7.2015 द्वारा न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.2009 को यथावत रखा जा कर कुर्की की कार्यविधि हेतू दिनांक 04.03.2010 में अपने पत्र कमांक /राजस्व/1012 को तहसीलदार महवा को रिसीवर नियुक्त करने हेतु पृथक पत्र लिखा था, परन्तु तहसीलदार की उदासीनता के चलते मन्दिर माफी की भूमि पर पार्टी नं 1 के सदस्य 1 लगायत 5 व 6 लगायत 9 जबरन लठ्ठ के बल पर कब्जा लेने पर उतारू है इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की बहुत ऐसी नजीर है कि मन्दिर माफी की भूमि पर कोई भी व्यक्ति का कब्जा नहीं माना जावेगा, सिर्फ और सिर्फ मूर्ति का ही कब्जा माना जावेगा, क्योकि मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा करना राज्य का विधिक दायित्व है, मूर्ति का प्रतिनिधि उसका पुजारी ही होता है। उक्त माफी का पुजारी शिम्भू पुत्र परभाती ब्राहाण नि० टीकरी जाफरान था उसकी मृत्यु के बाद माफी मन्दिर श्री नृसिंह

भगवान के मन्दिर की पूजा गजानन्द पुत्र ओमकार पार्टी नं 1 का सदस्य कर रहा है। इस कारण उक्त आराजी पर भगवान श्री नृसिंह जी का जरिये पुजारी गजानन्द कब्जा माना जा कर धारा 145 CRPC की कार्यवाही की जावे।

8. जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा थानाधिकारी महवा द्वारा प्रस्तुत परिवाद को आंशिक स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नं. 632/915, 633/917, 635/919 , 628/911 ग्राम टीकरी जाफरान पर थानाधिकारी महवा को रिसीवर नियुक्त किया जाकर विवादित भूमि को मौके पर कुर्क कर कब्जेराज लिया जाने एवं विवादित भूमि की काश्त नीलामी का समुचित प्रबंध करते हुए आय–व्यय का पूर्ण ब्यौरा संधारित किया जाकर प्रति छह माह में अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पेश किये जाने का आदेश दिया गया। जिससे व्यथित होकर निगरानीकारान की ओर से उक्त दोनों पृथक–पृथक निगरानी याचिकाएं पेश की गई है।

9. बहस निगरानी सुनी गयी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

10. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार बलवीर एवं सत्यवती ने दौराने बहस निगरानी याचिका में वर्णित कथनों को दोहराते हुए यह तर्क पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2022 विधि संगत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष परिवाद दिनांक 19.4.2021 को थानाधिकारी द्वारा पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश जारी नहीं कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण में ऐसी कोई आपातिक स्थिति नहीं थी कि जिससे अन्तरिम आदेश पारित किया जाता। उक्त प्रकरण दर्ज होने के करीब 11 माह पश्चात ऐसी क्या आपातिक स्थिति पैदा हुई, यह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रकट नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी का पूर्व खातेदार शिम्भू था तथा बन्दोबस्त पूर्व उक्त भूमि के खसरा नंबर 141 व 144 था, जिसका खातेदार प्रभाती पुत्र गणेश के नाम गैर खातेदार दर्ज था, जिसके नामान्तकरण सं0 159 के अनुसार प्रभाती की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस शिम्भू के नाम नामान्तरकरण खोला गया तथा उसके बाद नामान्तकरण सं0 163 से शिम्भू को गैर खातेदारी से खातेदारी उक्त भूमि की दी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी मृतक शिम्भू को उसके पिता प्रभाती से प्राप्त हुई थी, जिसका मंदिर भूमि से कोई संबंध नहीं था, जिसे बेचने का खातेदार शिम्भू को पूर्ण अधिकार था, जिसने दिनांक 24.02.2021 को रजिस्टर्ड बयनामा के आराजी खसरा नंबर 632/915 रकबा 0.01

है0 खसरा नंबर 933/917 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 635/919 रकबा 0.13 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.25 है0 को बलवीर द्वारा शिम्भू से मुबलिग 590000 रूपये में खरीद की थी जिसका प्रतिफल चार लाख रूपये जरिए चैक एवं 190000 रूपये नगद विक्रेता को दिये तथा उसी दिन खसरा नंबर 628/911 रकबा 0.28 है0 को विक्रेता शिम्भू से निगरानीकार सं0 दो सत्यवती द्वारा 5,95,000 रूपये में खरीद की थी जिसका भी प्रतिफल चार लाख रूपये जरिए चैक एवं 1,95,000 हजार रूपये नगद रोकडी उसी दिन अदा किये गये थे, जिससे उक्त आराजी के निगरानीकारान सद्भाविक क्रेता है तथा उक्त आराजी का प्रतिफल अदा कर खरीद किया था, जिस पर कब्जा भी विक्रेता द्वारा उसी दिन निगरानीकारान को संभलवा दिया गया था, जिसमें गैर निगरानीकार सं0 3 लगायत 9 का कोई संबंध नहीं है। थानाधिकारी महवा के द्वारा परिवाद पेश करते समय यह माना गया है कि उक्त आराजी पर कब्जा निगरानीकारान का है तथा उक्त भूमि से गैर निगरानीकार सं0 3 लगायत 9 का कोई संबंध नहीं है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य आदेश पारित किया है। अतः निगरानीकारान की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2022 निरस्त किया जाकर निगरानीकारान की खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 632/915, 633/917, 635/919, 628/911 ग्राम टीकरी जाफरान पर थानाधिकारी महवा को रिसीवर नियुक्त करने का जो आदेश दिया गया है, उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

11. इसके विपरीत गैर निगरानीकार सं0 एक व दो की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने दौराने बहस तर्क पेश किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानीकार बलवीर व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

12. गैर निगरानीकार सं0 3 लगायत 9 की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

13. निगरानीकार यादराम व अन्य की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं हुआ है, किन्तु निगरानी याचिका के युक्तियुक्त निस्तारण के लिए पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकट है कि निगरानीकार यादराम व अन्य की ओर से यह

निगरानी इस आधार पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2021 गैर कानूनी एवं विधि के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह भगवान विराजमान ग्राम टीकरी जाफरान खातेदारी भूमि खसरा नंबर 196, 197, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 497 / 856, 566 / 885, 567, 568 / 887, 569, 570 स्थित ग्राम टीकरी जाफरान को धारा 145 द0 प्र0 सं0 के तहत कब्जा राज ना लेकर कानूनी रूप से भारी भूल की है, जबकि निगरानीकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य से भली–भांति अवगत करा दिया था कि मूर्ति एक शाश्वत नाबालिग है, जिसके हितों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। निगरानीकार के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह भी अवगत करवा दिया गया था कि मंदिर माफी की भूमि के बाबत पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत दिनांक 21.12.2009 को तहसीलदार महवा को प्रापक नियुक्त कर मूर्ति मंदिर की भूमि को कब्जे लेने हेतु आदेश दिया गया, जिसके बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2010 को पत्र के माध्यम से तहसीलदार महवा को उक्त भूमि की रिसीवरी में लेने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जो धारा 145 द0 प्र0 सं0 के समानान्तर कार्यवाही है। उक्त आदेश आज भी यथावत है तथा दिनांक 20.7.2015 को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पुष्ट किया गया है, परन्तु इस तथ्य की भी अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी की है। प्रकरण आपातिक था तथा शिम्भू पुजारी की खातेदारी भूमि में पंजीयन दिनांक 24.02.2021 के दो दिन बाद ही नामान्तकरण बाबत आपत्ति पेश हुई तथा थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मृतक शिम्भू पुजारी की खातेदारी भूमि के कब्जाराज के आदेश के पश्चात आज दिन तक कोई निवारात्मक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की है। अतः निगरानीकारान की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 14.03.2022 मूर्ति मंदिर की भूमि को कब्जे राज नहीं लिये जाने की सीमा तक निरस्त किया जाकर शिम्भू पुजारी एवं मूर्ति मंदिर नृसिंह भगवान विराजमान टीकरी जाफरान की खातेदारी भूमि जो कि परिवाद में वर्णित है, उसे कब्जेराज लिये जाने का निवेदन किया है।

14. बहस निगरानी सुनी गयी पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2022 का अवलोकन किया गया। पत्रावली का

अवलोकन करने के बाद इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 अवैध, अशुद्ध और विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया है ?

15. इस संबंध में निगरानी याचिका सं0 05/2022 बलवीर व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य का अवलोकन करें तो प्रकट है कि निगरानीरान बलवीर व अन्य की ओर से मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व खातेदार शिम्भू था तथा बन्दोबस्त पूर्व उक्त भूमि के खसरा नंबर 141 व 144 था, जिसका खातेदार प्रभाती पुत्र गणेश के नाम गैर खातेदार दर्ज था, जिसके नामान्तकरण सं0 159 के अनुसार प्रभाती की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस शिम्भू के नाम नामान्तरकरण खोला गया तथा उसके बाद नामान्तकरण सं0 163 से शिम्भू को गैर खातेदारी से खातेदारी उक्त भूमि की दी गई थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी मृतक शिम्भू को उसके पिता प्रभाती से प्राप्त हुई थी, जिसका मंदिर भूमि से कोई संबंध नहीं था, जिसे बेचने का खातेदार शिम्भू को पूर्ण अधिकार था, जिसने दिनांक 24.02.2021 को रजिस्टर्ड बयनामा के आराजी खसरा नंबर 632/915 रकबा 0.01 है0 खसरा नंबर 933/917 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 635/919 रकबा 0.13 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.25 है0 को बलवीर द्वारा शिम्भू से मुबलिग 590000 रूपये में खरीद की थी जिसका प्रतिफल चार लाख रूपये जरिए चैक एवं 190000 रूपये नगद विक्रेता को दिये तथा उसी दिन खसरा नंबर 628/911 रकबा 0.28 है0 को विक्रेता शिम्भू से निगरानीकार सं0 दो सत्यवती द्वारा 5,95,000 रूपये में खरीद की थी जिसका भी प्रतिफल चार लाख रूपये जरिए चैक एवं 1,95,000 हजार रूपये नगद रोकडी उसी दिन अदा किये गये थे, जिससे उक्त आराजी के निगरानीकारान सद्भाविक क्रेता है तथा उक्त आराजी का प्रतिफल अदा कर खरीद किया था, जिस पर कब्जा भी विक्रेता द्वारा उसी दिन निगरानीकारान को संभलवा दिया गया था, जिसमें गैर निगरानीकार सं0 3 लगायत 9 का कोई संबंध नहीं है। थानाधिकारी महवा के द्वारा परिवाद पेश करते समय यह माना गया है कि उक्त आराजी पर कब्जा निगरानीकारान का है तथा उक्त भूमि से गैर निगरानीकार सं0 3 लगायत 9 का कोई संबंध नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में धारा 145 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर कब्जेराज ली गई है।

16. इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14.03.2022 का अवलोकन करें तो प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा परिवादी थानाधिकारी महवा के द्वारा प्रस्तुत परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 632/915, 633/917, 635/919, 628/911ग्राम टीकरी जाफरान की भूमि के संबंध में थानाधिकारी महवा को रिसीवर नियुक्त किया जाकर विवादित भूमि को मौके पर कुर्क कर कब्जेराज लिये जाने का आदेश दिया गया है, जबकि निगरानीकारान बलवीर व सत्यवती का यह कहना रहा है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी को दिनांक 24.02.2021 को रजिस्टर्ड बयनामा आराजी खसरा नंबर 632/915 रकबा 0.01 है0 खसरा नंबर 933/917 रकबा 0.11 है0, खसरा नंबर 635/919 रकबा 0.13 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.25 है0 को बलवीर द्वारा शिम्भू से मुबलिग 5,90,000 रूपये में खरीद की थी जिसका प्रतिफल चार लाख रूपये जरिए चैक एवं 1,90,000 रूपये नगद विक्रेता को दिये तथा उसी दिन खसरा नंबर 628/911 रकबा 0.28 है0 को विक्रेता शिम्भू से निगरानीकार सं0 दो सत्यवती द्वारा 5,95,000 रूपये में खरीद की थी जिसका भी प्रतिफल चार लाख रूपये जरिए चैक एवं 1,95,000 हजार रूपये नगद रोकडी उसी दिन अदा किये गये थे, जिससे उक्त आराजी के निगरानीकारान सद्भाविक क्रेता है तथा उक्त आराजी का प्रतिफल अदा कर खरीद किया था, जिस पर कब्जा भी विक्रेता द्वारा उसी दिन निगरानीकारान को संभलवा दिया गया था। इस संबंध में निगरानीकारान बलवीर एवं सत्यवती के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.02.2026 की सत्य प्रति पेश की है। जिसके अवलोकन से प्रकट है कि शिम्भू के वादमित्र गजानंद के द्वारा निगरानीकारान सत्यवती, बलवीर व अन्य के विरूद्ध तथाकथित बयनामा दिनांक 24.02.2021 को निरस्त किये जाने के संबंध में इस न्यायालय में वाद पेश किया गया था, जो इस न्यायालय के आदेश दिनांक 16.02.2026 के द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जा चुका है। जिससे प्रकट है कि निगरानीकारान बलवीर व सत्यवती के द्वारा मृतक शिम्भू की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24.02.2021 को खरीद की गई है और खरीद के दिन से ही निगरानीकारान बलवीर व सत्यवती का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा एवं स्वामित्व है, इस प्रकार जब वादग्रस्त आराजी को निगरानीकारान के द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया गया है तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 145

द0 प्र0 सं0 के तहत कार्यवाही किये जाने का कोई आधार एवं औचित्य प्रकट नहीं होता है । कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी भी पक्ष के सम्पत्ति पर अधिकार या हक का निर्णय करने का दायित्व या कानून द्वारा अधिकृत अधिकार नहीं है, यदि कब्जे का प्रश्न विवादित नहीं है तो कार्यपालक मजि0 को एक पक्ष से कब्जा लेकर दूसरे पक्ष या रिसीवर को सौंपने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, कब्जे के अधिकार का निर्णय सक्षम सिविल/राजस्व न्यायालय द्वारा विवाद के पक्षों के मुद्दों व दलील पर विचार करने के बाद किया जा सकता है। इन समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में निगरानीकारान बलवीर व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

17. जहां तक यादराम व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका का प्रश्न है, निगरानीकार यादराम व अन्य की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.03.2022 में मूर्ति मंदिर की भूमि को कब्जेराज नहीं लिया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो प्रकट है कि निगरानीकारान ने वादग्रस्त भूमि को मूर्ति मंदिर की भूमि होना बताकर आये हैं, उक्त मूर्ति मंदिर की भूमि पर किसी दीगर व्यक्तियों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया हो अर्थात शांति भंग होने की आशंका रही हो, ऐसा कोई कथन निगरानीकार का नहीं रहा है। मूर्ति मंदिर के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज भूमि के संबंध में निगरानीकारान का कोई हित निहित हो, ऐसा भी पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। जहां तक मूर्ति मंदिर की उक्त जमीन पर कब्जे एवं स्वामित्व का प्रश्न है, कब्जे एवं स्वामित्व के अधिकार का निर्णय सक्षम सिविल/राजस्व न्यायालय द्वारा विवाद के पक्षों के मुद्दों व दलील पर विचार करने के बाद किया जा सकता है, यदि वादग्रस्त स्थल पर शांति भंग होने की संभावना हो तो संबंधित पक्ष के विरूद्ध धारा 107, 116 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे में मंदिर माफी की भूमि को कब्जेराज नहीं लिये जाने की सीमा तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

18. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानीकार बलवीर व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका सं0 05/2022 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा

निगरानीकार यादराम व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी सं0 06/2022 अस्वीकार किये जाने योग्य है।

—आदेश—

19. परिणामतः निगरानीकारान बलवीर व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका विरूद्ध राज0 राज्य व अन्य निगरानी याचिका सं0 05/2022 स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2022 में खसरा नंबर 632/915, 633/917, 635/919, 628/911 ग्राम टीकरी जाफरान की भूमि के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना महवा को रिसीवर नियुक्त किये जाने एवं विवादित भूमि को मौके पर कुर्क कर कब्जेराज लिये जाने के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा निगरानीकारान यादराम व अन्य की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका विरूद्ध राज0 राज्य व अन्य निगरानी याचिका सं0 06/2022 अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

20. आदेश की प्रति के साथ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की पत्राावली अविलंब भिजवाई जावे

(आशुतोष गोसिन्हा)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा जिला दौसा।

21. आदेश आज दिनांक 07.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(आशुतोष गोसिन्हा)
अपर सैशन न्यायाधीश
महवा जिला दौसा।